



कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय दूरभाष सं० : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं०: 0522-2230099

ई-मेल : dmawasiko@gmail.com

पत्रांक : 6009/ADM-E/21

दिनांक : 7-5-2021

आदेश

कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा विकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतएव उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद लखनऊ अंतर्गत निर्धारित कर दी जायें, जिससे आमजनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन/एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

2- अतएव मैं अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ 'द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद लखनऊ में एम्बुलेंस के किराये की दरें निम्नवत् निर्धारित करता हूँ-

श्रेणीवार एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण।		
आक्सीजनरहित एम्बुलेंस	आक्सीजनयुक्त एम्बुलेंस	वैन्टीलेटर सपोर्टेड/बाई पीप एम्बुलेंस
रु० 1000/- 10 किमी की दूरी तक। उसके पश्चात रु० 100/- प्रति किमी० की दर से।	रु० 1500/- दस किमी की दूरी तक। उसके पश्चात रु० 100/- प्रति किमी० की दर से।	रु० 2500/- 10 किमी की दूरी तक। उसके पश्चात रु० 200/- प्रति किमी० की दर से।
उक्तानुसार निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुँचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।		

3. कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व ट्रैफिक हेल्प लाईन नम्बर 9454405155 पर दर्ज करा सकते हैं।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु श्रीमती ख्याती गर्ग, पुलिस उपायुक्त (यातायात) मोबाईल नम्बर 9454400517 तथा श्रीमती विदिशा सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) लखनऊ मोबाईल नम्बर 7705824519 को नोटल अधिकारी नामित किया जाता है। नामित नोटल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े



कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यालय दूरभाष सं० : 0522-2623912, 0522-2614700 फैक्स सं०: 0522-2230099

ई-मेल : dmawasiko@gmail.com

पत्रांक :

दिनांक :

हुए वाहन स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। ऐसे वाहनचालक/स्वामी, जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजनों से वसूल किया जाता है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/एम्बुलेंसचालक के विरुद्ध द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी करेगें।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
लखनऊ।